

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गिरिवर मिंज, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-गढ़वा), के विरुद्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के पद पर कार्यावधि में डोभा निर्माण में अनियमितता बरते जाने तथा जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग किये जाने की जाँच करने के निदेश के आलोक में भलीभाँति जाँच किये बगैर अनियमितता को छुपा कर भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-647/मनरेगा, दिनांक-30.07.2016 से प्राप्त संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मिंज के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मिंज को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मिंज द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला विकास अभिकरण, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री गिरिवर मिंज, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

66
ज्ञापांक-5/आरोप-1-114/2016 का०/राँची, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि- अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्री गिरिवर मिंज, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

3253
ज्ञापांक-5/आरोप-1-114/2016 का०/राँची, दिनांक 12.11 मार्च, 2017

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू, प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, पलामू/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला विकास अभिकरण, पलामू/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, चतरा से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्री गिरिवर मिंज, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20/3/17
सरकार के संयुक्त सचिव।